भारत सरकार

(जनजातीय कार्य मंत्रालय)

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या †1106

उत्तर देने की तारीख : 29-07-2015

**राजस्थान में वन भूमि पर बसी हुई जनजातियां**

†1106. श्री राम नारायण डूडीः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राजस्थान राज्य में वन भूमि पर बसे जनजातीय लोगों व अन्य वनवासियों की कुल संख्या का जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार वन भूमि पर बसे आदिवासियों को विशेष अभियान चला कर आबादी का पट्टा देने का विचार रखती है, यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या कार्ययोजना है; और

(ग) क्या सरकार वन भूमि पर बसे हुए गांवों को राजस्व गांव के रूप में मान्यता देने तथा वनवासियों को पट्टा अधिकार देने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री मनसुखभाई धांजीभाई वसावा)

(क) : मंत्रालय में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राजस्थान सरकार ने अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (संक्षिप्त में एफआरए) के तहत मान्यता प्राप्त एवं अधिकार प्राप्त वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों द्वारा वन भूमि पर वन अधिकारों तथा कब्जे का जिले वार विवरण **अनुलग्नक** पर है।

(ख) : वन अधिकार अधिनियम के तहत, वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों द्वारा दावा की गई वन भूमियों पर दावा मान्यता प्राप्त तथा अधिकार प्राप्त हैं। अधिनियम निवास के लिए भूमि को पट्टे पर देने की अनुमति प्रदान नहीं करता। राज्य सरकार ने समयबद्ध तरीके से वन अधिकारों की मान्यता के बचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए एक कार्य योजना बनाई है।

(ग) : इस मंत्रालय ने दिनांक 08.11.2013 को वन अधिकार अधिनियम की धारा 3(1)(ज) के अंतर्गत सभी वन ग्रामों, पुराने अधिवासों, असर्वेक्षित ग्रामों आदि को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। अधिनियम में भूमि को पट्टे पर देने के लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया है।

\*\*\*\*

**अनुलग्नक**

 “राजस्थान में वन भूमि पर बसी हुई जनजातियां” के संबंध में श्री राम नारायण डूडी द्वारा दिनांक 29.07.2015 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1106 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

|  |
| --- |
| राजस्थान राज्य में अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन की जिलेवार प्रगति की स्थिति |
| **31 मई, 2015 तक** |
| **क्रम सं.** | **जिले का नाम** | **ग्राम सभा में प्राप्त दावे** | **स्वीकृत दावे** | **अस्वीकृत दावे** | **निपटाए गए दावे** | **अधिकार पत्रों का वितरण** | **लंबित दावे** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | बांसवाड़ा | 20919 | 11827 | 8396 | 20223 | 11827 | 696 |
| 2 | प्रतापगढ़ | 15735 | 7096 | 8639 | 15735 | 7096 | 0 |
| 3 | डुंगरपुर | 7480 | 4533 | 2943 | 7476 | 4533 | 4 |
| 4 | उदयपुर | 13087 | 6620 | 4866 | 11486 | 6615 | 1601 |
| 5 | सिरोही | 4021 | 2380 | 1641 | 4021 | 2380 | 0 |
| 6 | राजसामंद | 1015 | 139 | 876 | 1015 | 139 | 0 |
| 7 | बारन | 4940 | 956 | 3582 | 4538 | 956 | 402 |
| 8 | पालि | 465 | 293 | 172 | 465 | 293 | 0 |
| 9 | भिलवाड़ा | 308 | 120 | 188 | 308 | 120 | 0 |
| 10 | [सवाई](https://en.wikipedia.org/wiki/Sawai_Madhopur_district) माधोपुर | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 |
| 11 | कोटा | 363 | 59 | 299 | 358 | 39 | 5 |
| 12 | झलवारा | 214 | 23 | 191 | 214 | 23 | 0 |
| 13 | बूंदी | 209 | 0 | 184 | 184 | 0 | 25 |
| 14 | जयपुर | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 15 | चित्तोड़गढ़ | 627 | 233 | 40 | 273 | 233 | 354 |
| 16 | टोंक | 209 | 0 | 133 | 133 |  | 76 |
|  | कुल | **69775** | **34279** | **32260** | **66539** | **34254** | **3236** |